विनांक.....

65/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर / वकील प्रार्थी ने अग्रिम जमानत हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाने हेतु प्रार्थना की लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक वकील की रसीद पेश नहीं की / अतः प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 212 दण्डप्रक्रिया संहिता अधिनियम अन्तर्गत आदेश अभियोजन द्वारा दर्ज किया जाता है पत्रावली को फैसल शुमार होकर नस्ती होकर दाखिल दफ्तर हो।